# आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

## श्री राजपाल यादव, माननीय उपाध्यक्ष तथा
## श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 20/ इंदौर /2020

| | | |
|---|---|---|
| अखिल भारतीय जैन ओसवाल संजनान फेडरेशन, इंदौर | बनाम | आयकर आयुक्त एक्जंप्शन, भोपाल |
| अपीलार्थी | | प्रत्यर्थी |
| स्था.ले.सं.-एएएफटीए 2871 सी | | |

| | |
|---|---|
| अपीलार्थी की ओर से | श्री राजेश मेहता, सीए |
| राजस्व की ओर से | श्री एस.एस.मंत्री, आयकर आयुक्त |
| सुनवाई तिथि | 25.05.2021 |
| उद्घोषणा तिथि | 28.06.2021 |

## आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त एक्जंप्शन, भोपाल के आदेश दिनांक 16.09.2019 के विरूद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर निदेशित है।

2. सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने इस अपील के संबंध में अधिकरण के समक्ष निवेदन किया कि अपीलार्थी वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही है । अतः उन्होंने इस अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारिती के अनुरोध का विरोध नहीं किया

है । अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 28.06.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

| | |
|---|---|
| हस्ता/- | हस्ता/- |
| (राजपाल यादव) | (मनीष बोरड) |
| उपाध्यक्ष | लेखा सदस्य |

दिनांक : 28.06.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल